213

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला-दतिया Am-2858-I-16

श्री ... द्वारा आज दि. 22.8.16 को प्रस्तुत
23.8.16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रामसेवक पुत्र श्री दयाराम कुशवाह, निवासी हरदौल मुहल्ला, तहसील व जिला दतिया (म.प्र)

-- आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला दतिया (म.प्र.)

-- अनावेदक

न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 194/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 04.04.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

D Chaturvedi 22/8/16

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :-

1. यहकि, भू-खण्ड क्रमांक 23 खसरा क्रमांक 1740 सीट क्रमांक 22ए सी नजूल का जाँच प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसमें राजस्व निरीक्षक नजूल, जाँच के द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट में ना तो यह लेख किया है कि उक्त भू-खण्ड के कितने हिस्से में आवेदक द्वारा निर्माण कार्य किया गया है।
2. यहकि, जाँच प्रतिवेदन के क्रमांक 4 लगायत 9 में से रिकॉर्ड लेख किया है, जो पूर्णतः गलत है। क्योंकि आवेदक का अपने पूर्वजो के समय से उक्त भू-खण्ड के कुछ क्षेत्रफल पर बारजा एवं गेट बना हुआ है, जिसमें किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ही नहीं है।
3. यहकि, उक्त शासकीय भू-खण्ड क्रमांक 23 को आवेदक के भू-खण्ड क्रमांक 47, 48, 49 के बीचो-बीच है जिन्हें आवेदक व उसके पुत्र के हक में क्रय किया गया है तथा एक दिशा की ओर पैत्रिक मकान है, जिसे आवेदक के पूर्वजों हक 100 वर्ष पहले बनाया होगा। जिसके आगे जो रास्ता बची है वह मात्र आवेदक के घर तक आकर समाप्त हो जाती है। जिसे भू-खण्ड क्रमांक 23 बताया जा रहा है। ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2858/एक/2016 जिला–दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
23.12.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 194/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा भू–खण्ड क्र. 23 खसरा क्रमांक 740 शीट क्रमांक 22ए/सी नजूल का जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक /अ–20 में आदेश दिनांक पारित किया है, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में अपील प्रकरण क्रमांक 194/2013–14 प्रस्तुत किया था, जो पारित आदेश दिनांक 04.04.2016 से निरस्त कर दिया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। 4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, दतिया द्वारा प्रकरण में जो आदेश पारित किया है, उसमें प्रकरण क्रमांक एवं आदेश दिनांक तक का उल्लेख नहीं किया है और ना ही उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर ही दिया गया है।	

ऐसी स्थिति में कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा पारित आदेश विधिवत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अतः वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5— अनावेदक की ओर से उपस्थित शासकीय सूची अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया है कि विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही एवं आदेश पारित किया है, वह विधिवत एवं उचित है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6— उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसमें प्रकरण क्रमांक एवं आदेश दिनांक का उल्लेख नहीं है, जबकि कोई भी आदेश पारित किये जाने से पूर्व उपरोक्त कार्यवाही सर्वप्रथम की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आदेश नजूल अधिकारी के एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर पारित किया गया है, जबकि एकपक्षीय प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधिवत एवं उचित नहीं है। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें उपरोक्त तथ्य के संबंध में आक्षेप किया गया था किन्तु आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा उपरोक्त आक्षेप एवं तर्क पर विचार किये बिना तथा अभिलेख पर विधिवत विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह विधिवत एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 194/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2016 एवं कलेक्टर दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक निरंक/अ—20 पारित आदेश दिनांक निरंक अपास्त किये जाते है एवं शीट क्रमांक 22ए+सी भू—खण्ड क्रमांक 23 क्षेत्रफल 765 वर्गमीटर खुली भूमि म0प्र0 शासन के स्थान पर आवेदक के नाम पर इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य